

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:- 377035 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 30/06/18

ग्रा०वि०-3/स्था०-10-08/17

ग्रामीण विकास विभाग के निम्नलिखित महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) को जिला के रिक्त प्रखंड में मूल पद अर्थात् महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित जिला आवंटित किया जाता है। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी इन पदाधिकारियों को अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में इन्हें मूल पद पर पदस्थापन कर कार्यहित में इनके अपने ही वेतनमान में जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त करेंगे तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपेंगे :-


| क्र. सं. | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | नव पदस्थापित प्रखंड एवं जिला का नाम | प्रस्तावित पद |
|----------|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्रीमती सुनिता कुमारी सिन्हा | म.प्र.पदा.सह- स.प.पदा., लखीसराय | बोंका | APO का अतिरिक्त प्रभार |
| 2 | श्रीमती अर्चना गुप्ता | म.प्र.पदा.सह- स.प.पदा., कटिहार | बेगूसराय | APO का अतिरिक्त प्रभार |
| 3 | श्रीमती पूनम कुमारी | म.प्र.पदा.सह- स.प.पदा., सीवान | मुजफ्फरपुर | APO का अतिरिक्त प्रभार |
| 4 | श्रीमती सरिता कुमारी सिंह | म.प्र.पदा.सह- स.प.पदा., वैशाली | पटना | APO का अतिरिक्त प्रभार |
| 5 | श्रीमती उषा सिन्हा | म.प्र.पदा.सह- स.प.पदा., कटिहार | भागलपुर | महिला प्रसार पदाधिकारी |
| 6 | श्रीमती पूनम कुमारी | महिला प्रसार पदाधिकारी, चकिया (पूर्वी चम्पारण) | मुजफ्फरपुर | महिला प्रसार पदाधिकारी |
| 7 | श्री सत्येन्द्र महतो | प्र.पदा.सह- स.प.पदा., प० चम्पारण | वैशाली | प्रसार पदाधिकारी |
| 8 | श्रीमती नीलम सिंह | महिला प्रसार पदाधिकारी, मधुबनी | प्रखंड - किशनपुर (सुपौल) | महिला प्रसार पदाधिकारी |
| 9 | श्रीमती रेणु सिन्हा | प्रसार पदाधिकारी, बेगूसराय | आरा (भोजपुर) | प्रसार पदाधिकारी |
| 10 | श्रीमती उषा कुमारी | म.प्र.पदा.सह- स.प.पदा., भोजपुर | प्रखंड- मसौढ़ी (पटना) | महिला प्रसार पदाधिकारी |
| 11 | श्रीमती वीणा कुमारी | म.प्र.पदा.सह- स.प.पदा., बेगूसराय | दरभंगा | महिला प्रसार पदाधिकारी |

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. नव पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर संबंधित जिला में योगदान करेंगे तथा जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ रिक्त प्रखंड में एक सप्ताह के अन्दर इनका पदस्थापन कर विभाग को संसूचित करेंगे ।

4. प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इस अतिरिक्त प्रभार के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और न ही इनका किसी प्रकार का एतदर्थ दावा मान्य होगा । सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी व्यवस्था को विभाग के अगले आदेश से किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी ।

5. नव पदस्थापित पदाधिकारी के माह जुलाई, 2018 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से किया जायेगा ।



(राधा कृष्ण, जिला)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 377035

दिनांक:- 30/06/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-10-08/17

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त/ संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित पदाधिकारी /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 377035

दिनांक:- 30/06/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव